न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
09 / 2024	24.05.2024	29.05.2026

1. रामदयाल पुत्र कल्ला जाट निवासी रोड़ावद तहसील खण्डार जिला स0मा0।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभु पुत्र बीरबल जाट निवासी रोड़ावद तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. महावीर पुत्र प्रभु जाट निवासी रोड़ावद तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. तहसीलदार लैंड होल्डर तहसील खण्डार।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री रमेश चन्द गौत्तम तेहरिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज0टी0एक्ट 1955 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है:—
   - यह है कि प्रार्थी ग्राम रोडावद कास्तगार अकेला व्यक्ति है एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 भी ग्राम रोडावद के मूल निवासी है तथा एक ही परिवार के सदस्य जिनके खेत पास पास है।
   - यह है कि प्रार्थी की कब्जा कास्त की आराजीयात खसरा नम्बर 484 / 1 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा ग्राम रोड़ावद में स्थित है। जिसमें प्रार्थी के बंटवारे में आया 1 / 4 हिस्से की भूमि प्रार्थी के बंटबारे में आई थी जिस पर कुछ हिस्से में रिहायशी मकान बनाकर परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है शेष भाग में कास्त करता चला आ रहा है। एवं अप्रार्थीगण का भी इसी खसरा नम्बर में 1 / 4 बटा हिस्सा खातेदारी कब्जे कास्त में है। उक्त आराजीयात सम्मिलित खातेदारी की है।
   - यह है कि प्रार्थी को बंटबारे में उसके भाईयों ने 1 / 4 हिस्सा सम्पूर्ण सम्भला रखा है जिसमें प्रार्थी ,अप्रार्थी के हिस्से की भूमि में होकर पश्चिम दिशा की मेड़ में होकर 15 फिट चौड़ा रास्ता में होकर अपने मकान व खेत मे आता जाता रहा है तथा जिसमें प्रार्थी अपने ट्रेक्टर ट्राली अपने मवेशीयो को लाने लेजाने में इसी रास्त का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 02.05.2024 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 ने उनके हिस्से में भूमि में होकर 20 साल पुराने रास्ते को खम्भे व तारबन्दी लगाकर अवरूद्ध कर दिया है।
   - यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से रास्ता अवरूद्ध करने से मना किया तो अप्रार्थीगण नाराज हो गया ओर कहना लगा इस रास्ते को हमने बन्द कर दिया है। तेरे मर्जी हो जो कार्यवाही कर ले उक्त आम रास्ते को अवरूद्ध करने से आने जाने से परेशान है प्रार्थी व उक्त मकान व खेत पर जाने का इस रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है इसलिए उक्त आम रास्ते को खुलासा करवाया जाने का विकल्प एकमात्र श्रीमान् न्यायालय की शरण लेना ही उपचार है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

- यह है कि प्रार्थी को अपने उक्त खेत आने जाने के पुराने रास्ते का अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की 1/4 में मिला लिया इस से उक्त रास्ता बन्द हो गया है। प्रार्थी की उक्त जमीन तथा मकान पर आने जाने का कोई रास्ता नही है। इसलिए उक्त रास्ते को खुलासा करवाना न्यायहित में आवश्यक है।
- यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा दिनांक 02.05.2024 को उक्त रास्ता 15 फुट चौड़ा जो अप्रार्थीगण की पश्चिम दिशा की मेड़ में होकर प्रार्थी के खातेदारी के उक्त हिस्से 1/4 की जमीन पर पहूंचता है जिसे अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 द्वारा खम्बे गाड़ कर तारबन्दी पत्थरो की दीवार कर रास्ते का अवरूद्ध कर पर यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश करना आवश्यक है ।
- यह है कि अप्रार्थी संख्या 3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार जी होने से प्रार्थना पत्र मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।
- यह है कि प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है ।यह है कि प्रार्थना पत्र का सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- अतः सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की सम्मिलित खातेदारी की कब्जे कास्त की आराजीयात खसरा नम्बर 484/1 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में हिस्सा 1/4 पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लेजाने अपने रिहायशी मकान पर आने जाने का 15 फिट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी 1 लगायत 2 के इसी खसरा नम्बर में 1/4 हिस्सा की पश्चिम मेड़ में होकर निकाला है जिसको अप्रार्थी ने अवरूद्ध कर रखा है जिसको खुलासा करवाया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते का अंकन किया जावे है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस जारी होने पर भी उपस्थित नहीं हुए। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खण्डार से मौका रिपोर्ट तलब की गई।
3. तहसीलदार खण्डार के पत्रांक एलआर/2025/4053 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट पेश की गई। जो संलग्न पत्रावली है।
4. पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपनी सम्मिलित खातेदारी की कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 484/1 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में हिस्सा 1/4 पर आने जाने एवं कृषि यंत्र ले जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी 1 लगायत 2 के इसी खसरा नंबर में 1/4 हिस्सा की पश्चिम मेड़ में होकर निकला है जिसको अप्रार्थी ने अवरुद्ध कर रखा है जिसको खुलासा करवाया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
5. भू अभि निरीक्षक व पटवारी हल्का की मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार 'आराजी खसरा नंबर 484/1 की उत्तरी मेड़ के सहारे खसरा नंबर 483 रकबा 4 बिस्वा गैर मु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसको अप्रार्थी प्रभु व अन्य ने खंबे गाड़कर तारबंदी पत्थरों की दीवार कर रास्ते को अवरुद्ध कर रखा था। जिसको तहसीदलार खण्डार के आदेश क्रमांक/राजस्व/2025/423 दिनांक 19–12–25 की पालना में खसरा नंबर 483 रकबा 4 बिस्वा गैर मु रास्ता को दिनांक 24–12–25 को अवरुद्ध रास्ता को अतिक्रमण हटाकर खुलासा करवा दिया गया है। प्रार्थी को आने जाने के लिए रास्ता चालू है।' उक्त रिपोर्ट व संलग्न नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 484/1 तक पहुँच हेतु पूर्व से ही रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

6. इसके अलावा प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 484/1 में अपने हिस्से तक पहुँच हेतु उसी आराजी में से रास्ता चाहा गया है। किंतु खसरा नंबर 484/1 के सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अविभाजित भूमि में सभी सह खातेदारों का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है इसलिए खसरा नंबर 484/1 में विभाजन के बिना प्रार्थी का हिस्सा 1/4 कहा पर स्थित है यह तय किया जाना संभव नहीं है। सह खातेदारी की आराजी में से बिना विभाजन किए किसी सह खातेदार विशेष को धारा 251–के तहत अविभाजित आराजी में से रास्ता कायम किया जाना संभव नहीं है। उक्त के लिए प्रार्थी विभाजन के लिए विधि अनुसार वाद पत्र प्रस्तुत कर रास्ते का अंकन विभाजन के समय करवा सकते है।

7. इस प्रकार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 484/1 तक पहुँच हेतु मुताबिक मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस पूर्व से ही रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नंबर 483 में दर्ज है जो खसरा नंबर 484/1 के सहारे–सहारे स्थित है व चालू है। यदि रिकॉर्डेड रास्ता किसी के द्वारा अवरुद्ध किया जाता है तो उस रास्ते को खुलवाने के लिए भू–धारक तहसीलदार के समक्ष धारा 251 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। धारा 251–क के तहत नवीन रास्ता उसी स्थिति में कायम किया जा सकता है जब वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो गया है। हस्तगत प्रकरण में जब पूर्व से ही खसरा नंबर 484/1 तक पहुँच हेतु रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज है तो आवागमन हेतु धारा 251–के तहत नवीन रास्ता कायम करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। उक्त विवेचन के आधार पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

8. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.)

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)